

कार्यालय
उपायुक्त-सह-जिलादण्डाधिकारी, गिरिडीह।
(जिला राजस्व शाखा)
::- आवश्यक सूचना:-

सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची के पत्रांक- 4410, दिनांक 29.10.2018 एवं पत्रांक 4436, दिनांक- 30.10.2018 के अनुसार गिरिडीह जिला में राजस्व उप निरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) एवं अमीन के रिक्त पदों पर वैसे अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाना है, जो झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित है।

अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र के साथ दिनांक 08.11.2018 को 10:00 बजे पूर्वाह्न गिरिडीह समाहरणालय में उपस्थित होंगे।

1. राजस्व उप निरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) पद के लिए
 - (क) मैट्रिक प्रमाण-पत्र
 - (ख) इण्टर प्रमाण-पत्र
 - (ग) संबंधित थाना द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र
 - (घ) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र
 - (ङ.) स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
 - (च) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र
 - (छ) आधार कार्ड
2. अमीन पद के लिए
 - (क) मैट्रिक प्रमाण-पत्र
 - (ख) इण्टर प्रमाण-पत्र
 - (ग) झारखण्ड राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र
 - (घ) संबंधित थाना द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र
 - (ङ.) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र
 - (च) स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
 - (छ) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र
 - (ज) आधार कार्ड

सभी अभ्यर्थी अपने आवेदित पद के अनुरूप उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण-पत्र एवं एक-एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।



उपायुक्त, गिरिडीह।

प्रतिलिपि: ज्ञापांक 1930 दिनांक 05/11/2018
जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि झारखण्ड के सभी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय।




उपायुक्त, गिरिडीह।

C:\Users\User\Desktop\Revenue Karmchari.docx

ज्ञापांक 1930 / रा. गिरिडीह, दिनांक 05/11/18

प्रतिलिपि:- निर्देशानुसार, जिला विज्ञान सत्यना पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।
निर्देश है कि उक्त आशय की सूचना जिला के Website पर उठाए ली
अपलाउ काना खुनिश्चित किया जाय।


उपायुक्त, गिरिडीह।